अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय, उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 4–75/2013

अपीलार्थी – मनोरमा देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

–: **आदेश** :–

प्रश्नगत अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध स्थानान्तरित होकर न्यायालय में दायर किया गया है। इस अपीलवाद में मामला यह है कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 45 परियोजना बिहारीगंज (मधेपुरा) का आई0सी0डी0एस0 निदेशालय बिहार पटना के निर्देश के अनुपालन में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सी0डी0पी0ओ0 द्वारा दिनांक 15.12.2012 को विभिन्न केन्द्रों पर टेक होम राशन वितरण का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के क्रम में सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर द्वारा केन्द्र संख्या 45 परियोजना बिहारीगंज में अनियमितताऐं पाई गई जो निम्न है :– सेविका/सहायिका को दैनिक पोषाहार बनाने हेतु सामग्री नहीं देती है। अपने मन से दैनिक पोषाहार बनाती है, अपने मन से केन्द्र का स्थानान्तरण की हैं। केन्द्र की स्थिति जर्जर है साईन बोर्ड लगा हुआ है किन्तु लिखावट स्पष्ट अंकित नहीं। यही आरोप लगाकर संबंधित केन्द्र की सेविका को चयन मुक्त करने की अनुशंशा सी0डी0पी0ओ0 बिहारीगंज द्वारा की गई।

सी0डी0पी0ओ0 बिहारीगंज के अनुशंशा एवं सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण देने के बावजूद भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 149–2 दिनांक 02.03.2013 द्वारा संबंधित सेविका मनोरमा देवी को चयन मुक्ति आदेश निर्गत कर दिए।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष कागजात, एवं सबूत पेश किए।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा का आदेश पूर्णतया गलत व नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। उन्हें अपने पक्ष में बताया कि निरीक्षण तिथि T.H.R वितरण दिवस था। दिनांक 15.12.2012 को सेविका/सहायिका अपने केन्द्रों पर केन्द्रों के लाभुकों के बीच T.H.R वितरण निर्धारित मात्रा में की है, कोई भी लाभुक ने T.H.R वितरण में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई हैं बावजूद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने पूर्व से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह आरोप लगाया कि सेविका/सहायिका को पोषाहार बनाने हेतु सामग्री नहीं देती है, साक्ष्य के तौर पर उन्होंने केन्द्र की संबंधित सहायिका का लिखित बचाव नोटरी पब्लिक मधेपुरा का कागजात को प्रस्तुत किया कि जिसमें सहायिका ने यह उल्लेख किए हैं कि मैं केन्द्र की सेविका मनोरमा देवी के क्रियाकलाप से पूर्ण संतुष्ट हूँ मैं किसी भी जाँच पदाधिकारी को सेविका के बारे में कोई भी लिखित एवं मौखिक शिकायत नहीं की हूँ। सेविका के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंदी राजनीति का परिणाम है। उक्त लिखित बयान जो नोटरी पब्लिक मधेपुरा द्वारा निर्गत है, अवलोकन कराया गया।

इसके साथ अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निर्धारित दिवस T.H.R वितरण के दिन सेविका निर्धारित मात्रा में लाभुकों को चावल, दाल का पैकेट बनाकर दे रही थी, उसी वक्त सी0डी0पी0ओ0 बिहारीगंज केन्द्र पर आई लाभुक से पूछताछ की किन्तु किसी भी लाभुक ने अनियमितताऐं बरते जाने की शिकायत नहीं की सब कुछ सामान्य पाकर वापस चली गई, बाद में मनगढंत आरोप लगाकर जाँच प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को समर्पित की। किसी भी लाभुकों का लिखित बयान उन्होंने नहीं लिया उन्होंने यह भी बताया कि यह आरोप भी निराधार है कि सेविका, सहायिका को दैनिक पोषाहार बनाने हेतु सामग्री नहीं देती है, क्योंकि सहायिका ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। जहाँ तक केन्द्र स्थानांन्तरण की बात है वह भी निराधार है, केन्द्र निर्धारित स्थल पर चल रहा है, विभाग से मिला साईन बोर्ड वर्षो पुराना हो जाने के कारण लिखावट धूंधला है, जिसे साफ दिखने लायक करा लिया जाएगा।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया कि चयन मुक्ति आदेश का संयुक्त पत्र 149–2 दिनांक 02.03.2013 में क्रमांक 3 पर प्रतिमा सिंह (सेविका) क्रमांक 4 पर रीना कुमारी (सेविका) एवं क्रमांक 5 स्पष्ट नहीं है। क्रमांक 3 से क्रमांक 5 की सेविका के विरूद्ध गंभीर आरोप है, जिनमें पोषाहार की मामुली राशि वसुलकर और चेतावनी देकर दण्ड दिया गया, जबकि क्रमांक 1 के अपीलार्थी सेविका मनोरमा देवी पर तो भी T.H.R वितरण में अनियमितता बरतने संबंधी कोई भी आरोप नहीं है, फिर भी कठोर दण्ड चयनमुक्ति का दिया गया, जबकि इस संबंध में कल्याण विभागीय पत्रांक 2012/2120 दिनांक 20.06.2012 में कहा गया कि केन्द्रों की जाँच के पश्चात् एक सामान परिस्थिति में एक जैसा निर्णय एवं कार्रवाई की जानी चाहिए जो निम्न न्यायालय प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। गंभीर आरोप वाले केन्द्रों की सेविका को

लघुतम वसूली एवं चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि अपीलार्थी को कठोरतम दण्ड वह भी चयनमुक्ति का।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि यह भी अवलोकन कराया कि सी0डी0पी0ओ0 बिहारीगंज एवं महिला पर्यवेक्षिका द्वारा प्रत्येक माह केन्द्र का निरीक्षण किया गया एवं केन्द्र को सही एवं सुचारू रूपेण संचालित पाया गया जिसकी माहवार विवरणी विभाग को भेजा गया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि केन्द्र के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है, इसके बावजूद भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कठोरतम एवं दंडात्मक दंड अपीलार्थी को दिया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अवलोकन कराया कि विभागीय पत्रांक 2012/2120 दिनांक 20.06.2012 में कंडिका ।। (8) में अंकित है, T.H.R दिवस में T.H.R की मात्रा अगर पूर्ण है लेकिन अन्य गड़बड़ियां है तो सेविका को कड़ी चेतावनी एवं सुधार का एक मौका दिया जायेगा। किन्तु अपीलार्थी सेविका श्रीमती मनोरमा देवी पर ऐसी भी बातें T.H.R वितरण में नहीं है, फिर भी अन्य आरोप लगाकर दण्ड मुक्ति आदेश दिया गया है, जो सर्वथा गलत है, नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

उपरोक्त सारे निष्कर्षो एवं विवेचनाओं के आधार पर यह न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँची कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा का आदेश न्यायिक दृष्टि से काफी दुर्बल व तथ्यहीन है, जिसे खंडित करते हुए निरस्त किया जाता है, इसमें कहीं भी नैसर्गिक न्याय का पालन भी नहीं हुआ है। यह न्यायालय उस आदेश ज्ञापांक 149–2 दिनांक 02.03.2013 को निरस्त करती है तथा सेविका मनोरमा देवी से अनुरोध करती है कि वे अपने दायित्वों को Seriously एवं Responsibility तरीके से करेंगी, अन्यथा भविष्य में कार्य में कोताही व अनियमितताऐं करने पर कठोरतम दण्ड की भागीं होगी।

लेखापित एवं संशोधित

17.11.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

17.11.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा